बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रारूप अधिसूचना

संख्या_____ दिनांक_____

ग्रा0 वि0 07(नि0)- 01/2021

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024 प्रारूप का प्रकाशन

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा-7 की उप-धारा(1) के अनुसार मनरेगा अन्तर्गत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर प्राप्त नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान और धारा-7 की उप-धारा (1) सह-पठित 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024 बनाने का प्रस्ताव करती है और उक्त अधिनियम की धारा-32 की उपधारा (1) द्वारा यथोपेक्षित उन समस्त व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद् द्वारा इसके प्रारूप को प्रकाशित किया जा रहा हैं और एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो इसके प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों की अवधि के अंदर समर्पित किया जा सकता है ।

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति या समूह अथवा संस्था से प्राप्त कोई आपत्ति या सुझाव विर्निदिष्ट कालावधि के पूर्व आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, पुराना सचिवालय, बिहार सरकार, पटना के कार्यालय समय में प्राप्त होने पर बिहार सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

नियमावली प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ ।-

यह नियमावली "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली, 2024" कही जा सकेगी ।

इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

2. परिभाषाऐं ।-

(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i. "अधिनियम" से अभिप्रेत है महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005;

ii. "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है "जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक / उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक;

iii. "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी;

iv. "अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त;

v. "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी"से अभिप्रेत है जिले का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा);

vi. ''कार्यक्रम पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रभारी कार्यक्रम पदाधिकारी;

vii. "MIS" से अभिप्रेत है nrega.nic.in पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित Management Information System तथा इसमें संधारित सभी सूचनाऐं;

viii. "बेरोजगारी भत्ता" से अभिप्रेत हैं अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में दिया जाने वाला भत्ता ।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देश या मास्टर सर्कुलर में परिभाषित किए गये हों ।

3. बेरोजगारी भत्ते की पात्रता ।-

यदि अधिनियम की धारा 4(1) अधीन अधिसूचित स्कीम के अंतर्गत किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामलों में विनिर्दिष्ट की गयी रोजगार मांगने की तिथि से रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, दोनों में जो पश्चातवर्त्ती हो, तो वह इस नियमावली के नियम- 5 के उपनियम (i) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से तथा नियम- 6 के उपनियम (vii) के अधीन नियत सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा ।

4. बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन ।-

i. MIS पर प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना को इस नियमावली के अधीन कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त सूचना एवं आवेदन माना जायेगा ।

ii. MIS पर उपलब्ध सूचना के अलावे बेरोजगारी भत्ता का दावा करने वाला प्रत्येक आवेदक रोजगार प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना आवेदन दे सकेगा ।

iii. यदि परिवार का मुखिया या परिवार का कोई वयस्क सदस्य बेरोज़गारी भत्ता के लिए लिखित रूप से आवेदन देने में असमर्थ हो तो वह कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मौखिक रूप से भी अपनी बातें रख सकता है, जिसे अभिलिखित कर उसका हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान प्राप्त किया जायगा।

iv. ऐसे अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ता के लिए पृथक अवधि हेतु पृथक आवेदन देना होगा ।

v. रोजगार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन की पावती, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।

vi. कार्य पर उपस्थित होने का प्रमाण / साक्ष्य, अर्थात जब आवेदक ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर कार्य पर उपस्थित हुआ था तब कार्य स्थल प्रभारी द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसका आवेदन नामंजूर कर दिया जायेगा ।

vii. आवेदक को रोजगार मांगने के आवेदन के प्राप्ति की हस्ताक्षरयुक्त एवं तिथियुक्त पावती मुखिया / ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), कार्यक्रम पदाधिकारी अथवा पंचायत रोजगार सेवक द्वारा नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची ii के बिन्दु 10 के अनुसार देय होगा अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में दोषी पर अधिनियम के धारा 25 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी ।

5. बेरोजगारी भत्ते की दर ।-

i. महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान देय तिथि से उक्त वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम 30 दिनों के लिये मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अकुशल मजदूरी हेतु संदेय दैनिक दर की एक चौथाई की दर से तथा 30 दिनों के पश्चात् (वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिये) अकुशल मजदूरी हेतु संदेय दैनिक दर का आधा दर पर देय होगा । बेरोजगारी भत्ता की देयता मात्र उतने दिनों के लिये हीं होगी जितने दिनों के लिये काम मांगा गया है और आवेदक परिवार के किसी भी सदस्य को काम उपलब्ध करा देने की तिथि से बेरोजगारी भत्ता की देयता समाप्त हो जायेगी । बेरोजगारी भत्ता की गणना, मांगे गये काम के दिनों की संख्या की सीमा के भीतर, उतने दिनों के लिये हीं की जायेगी जितने दिनों तक काम उपलब्ध नहीं करया गया हो ।

ii. बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा- एक परिवार द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर उपार्जित कुल राशि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के 100 दिनों की मजदूरी की कुल राशि से अधिक नहीं होगा जिसके लिये अधिनियम के अधीन रोजगार की गारंटी दी गयी है ।

iii. अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता की दर में संशोधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा एतद् दर के अनुरूप ही बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

6. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति की प्रक्रिया ।-

i संबंधित जॉबकार्डधारी परिवार को MIS प्रणाली द्वारा गणना कर प्रदर्शित बेरोजगारी भत्ता देय होगा । कार्यक्रम पदाधिकारी ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें ।

ii बेरोजगारी भत्ते के अन्य मामले यथा नियम 4 (ii) के प्रावधान के अधीन प्राप्त आवेदन पर भी निर्णय कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा ससमय निर्णय लिया जायेगा ।

iii MIS Data Entry PO login के D24 Delay Compensation Module के Unemployment Allowance में MIS प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता की सूचना प्रदर्शित होने / आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिन के भीतर, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में निर्णय कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा तथा आदेश / निर्णय की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जायेगा । 15 दिन के अन्दर बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा की MIS प्रणाली द्वारा सृजित बेरोजगारी भत्ता सही है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इसके भुगतान की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जाएगी ।

iv. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की दशा में, ग्राम पंचायत / कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रत्येक मामले में रोजगार उपलबध नहीं कराने का कारण दर्शाना आवश्यक होगा । इसे सुनिश्चित करना संबंधित पंचायत रोजगार सेवक एवं कार्यक्रम पदाधिकारी का दायित्व होगा ।

v. अस्वीकृत आवेदनों को प्रखण्ड / ग्राम पंचायत के सूचना पट पर कारण सहित प्रदर्शित किया जायेगा । कार्यक्रम पदाधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व होगा की संबंधित आवेदक को संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से पत्र के द्वारा उसके आवेदन की कारण सहित अस्वीकृति की सूचना प्रेषित की जाएगी ।

vi. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जायेगा, जिस तरह अधिनियम अंतर्गत मजदूरी का भुगतान किया जाता है और कार्यक्रम पदाधिकारी MIS द्वारा इसका भुगतान सुनिश्चित करेंगे ।

vii. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा, बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से, आवेदक को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाना है। यदि इसमें कोई विलंब होता है तो आवेदक "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार- विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017" के प्रावधानों के अनुरूप 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से मुआवजा पाने का हकदार होगा ।

7. बेरोजगारी भत्ता भुगतान का मद ।-

बेरोजगारी भत्ता का भुगतान समुचित जाँचोपरांत प्रथमतः बिहार रोजगार गारंटी निधि (State Employment Guarantee Fundor SEGFin Short) में राज्यांश मद की उपलब्ध राशि से किया जायेगा, तत्पश्चात इसकी प्रतिपूर्ति उत्तरदायी पदाधिकारी / पदाधिकारियों या अभिकरण / अभिकरणों से 30 दिनों में वसूली करते हुए कर ली जायेगी । उत्तरदायी पदाधिकारियों / कर्मियों से वसूली एवं इससे संबंधित पंजी का संधारण करने की जवाबदेही कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी । वसूली की गयी राशि बिहार रोजगार गारंटी निधि (SEGF) के खाते में जमा की जाएगी । बेरोजगारी भत्ता भुगतान होने के प्रत्येक दृष्टांत और उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने की समीक्षा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कराई जायेगी ।

8. निम्नलिखित परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा ।-

i. (क) यदि आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य, उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है; अथवा

(ख) कार्य पर उपस्थिति के लिए, कार्यक्रम पदाधिकारी / ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विहित रीति से आवेदक को ससमय सूचना जारी कर दी जाती है तथा आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य सूचित किए जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य स्थल पर उपस्थित होने में विफल रहता है; अथवा

(ग) यदि आवेदक या उसके परिवार, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना एक सप्ताह से अधिक के लिए कार्य में लगातार अनुपस्थित रहता है अथवा किसी माह में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है;

तो उपर्युक्त तीनों परिस्थियों (क, ख, एवं ग) में आवेदक, तीन माह के लिए बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा, यधपि, इस अवधि के दौरान वह रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है ।

ii. उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई व्यस्क सदस्य जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है ।

iii. वह अवधि, जिसके लिए रोजगार चाहा गया हो, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियोजन के लिए सूचना दिये जाने के बावजूद नहीं आता है ।

iv. यदि आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है ।

v. यदि आवेदक के परिवार ने मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है ।

vi. व्यक्ति सामान्यतः कार्य के लिए कम-से-कम 14 दिनों की लगातार अवधि हेतु उपलब्ध होगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई कार्य स्वच्छता-सुविधाओं से संबंधित (Sanitation facility related) है तो

कार्य के लिए आवेदन कम-से-कम छः (06) दिन के निरंतर कार्य के लिए होना चाहिए । यदि वह इतना समय देने में असमर्थ है तो वह बेरोज़गारी भत्ता पाने का पात्र नहीं होगा ।

vii. यदि रोजगार की मांग पर चालू कार्यों में रोजगार देना तकनीकी मापदंडों के आधार पर संभव नहीं हो तथा नया काम चालू करने के लिए कम-से-कम 10 श्रमिक उपलब्ध नहीं हो (यह वृक्षारोपण Afforestation कार्य के लिय लागू नहीं होगा) तो ऐसी परिस्थिति में भी बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा ।

9. बेरोजगारी भत्ता हेतु अपीलीय प्राधिकारी ।-

i. बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी आवेदक, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर, अपील कर सकेगा ।

ii. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध अपील, आवेदक द्वारा अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त के समक्ष की जायेगी ।

iii. अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-उप विकास आयुक्त के द्वारा अपील में पारित आदेश के विरुद्ध दितीय अपील, जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष की जायेगी ।

iv. अपीलीय प्राधिकारी को अपील की तिथि से 60 (साठ) दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील का निराकरण करना अनिवार्य होगा तथा की गयी कार्रवाई के बारे में लिखित में आवेदक को सूचित किया जायेगा ।

10. बेरोजगारी भत्ता पर कृत कार्रवाई पर अनुश्रवण ।-

i. बेरोजगारी भत्ता के भुगतान और प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर से किया जाएगा । इसकी चर्चा रोजगार दिवस में भी की जाएगी ।

ii. जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी बेरोजगारी भत्ते के दावे और एतद् नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध प्रतिवेदन के संबंध में कृत कार्रवाई पर मासिक बैठक आयोजित करेंगे एवं नियमावली के प्रावधानों को दृढ़तापूर्वक लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे ।

iii. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदनों एवं कृत कार्रवाई के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक को विस्तृत मासिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा तथा नरेगासॉफ्ट पर सभी आवश्यक सूचनाओं की सही-सही प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी ।

iv. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा PO Login Compensation Module अन्तर्गत Unemployment Allowance module तथा पंचायत रोजगार सेवक द्वारा MIS में दर्ज मांग के विरुद्ध आवंटित कार्य एवं बेरोजगारी भत्ता संबंधी Alert पर निरंतर नजर राखी जाएगी तथा प्रखण्ड स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में अग्रेतर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

11. विनियम बनाने की शक्ति ।-

राज्य सरकार इस नियमों के सभी अथवा किसी प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी ।

12. शंकाओं का निराकरण ।-

यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो उस मामले को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांक_____पटना/ दिनांक_____

ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक_____पटना/ दिनांक_____

ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक_____पटना/ दिनांक_____

ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक_____पटना/ दिनांक_____

ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक_____पटना/ **दिनांक_____**

ग्रा0वि0 07(नि0)- 01/2021

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव